फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

पार्थी : श्रीमती कंचन बनाम विपक्षी : श्री भंवरलाल व अन्य

केस मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 117/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक 04.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 को पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अत प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब का अवसर बद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उभय पक्ष को मौके व रेकर्ड की यथास्थित बनाये रखने पर पावन्द किये जाने पर सहमती जताई। अधिवक्तागण को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन कहा कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के खातेदार श्री रणछोड पिता गमेर प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 से 4 के पिता एवं विपक्षी सं 5 के पति थे जिनका निधन हो गया और उक्त विवादित भूमि के परिशिष्ट क, घ एवं च में वर्णित भूमि में मृतक रणछोड पिता गमेर की विरासत का नामन्तकरण सेवन से दर्ज करना रह गया है एवं शेष परिशिष्ट ख, ग, घ, च, छ में वर्णित आराजीयात में खातेदार रणछोड पिता गमेर के बजाय विरासत के नामान्तकरण से भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम हिस्सा बराबर से अंकित हो चुकी है जिससे उक्त कलम न. 2 में वर्णित भूमि के परिशिष्ट क, घ, च में वर्णित आराजीयात के खातेदार रणछोड पुत्र गमेर के हिस्से का प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 से 5 को हिस्सा बराबर से अन्य परिशिष्टो में वर्णित अनुसार विरासत से खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त परिशिष्ट क, घ, च में वर्णित भूमि राजस्व रेकर्ड में रणछोड पिता गमेर के नाम अंकित है लेकिन रणछोड का निधन होने से उसके हिस्से की भूमि विरासत से प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 अपने नाम हिस्सा बराबर से घोषित कराने के अधिकारी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड से विभाजन नहीं होने से संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है लेकिन विपक्षीगण प्रार्थीया को उसके हक हिस्से अनुसार काश्त करने में बाधा पैदा कर रहे है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। विपक्षी संख्या 2, 6 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि की परिशिष्ट ख, ग, छ में प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार है एवं अन्य सह खातेदार है तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर
भीण्डर

परिशिष्ट क, घ, च मे खातेदार रणछोड पिता गमेर के नाम हिस्से अनुसार खातेदार के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी द्वारा खातेदार रणछोड के वारिसान प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 को बताया है तथा प्रार्थनागस्त क, घ, च मे विरासत का नामान्तरण नही खुलने से मुल वाद घोषणा, बंटवारा व निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि परिशिष्ट ख, ग, छ मे प्रार्थी विपक्षीगण खातेदार होने व प्रार्थनाग्रस्त भूमि परिशिष्ट क, घ, च में प्रार्थी एव विपक्षी दोनो का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उभय पक्ष को मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पर पाबन्द किये जाने पर सहमती जताई। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा निमडी पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की आराजी नम्बर 1918, 1919 किता 2 रकबा 0.4500 है. भूमि व परिशिष्ट (ख) की आराजी नम्बर 1913, 1947, 2096/1914 किता 3 रकबा 0.7900 है. भूमि, परिशिष्ट (ग) की आराजी नम्बर 901 किता 1 रकबा 0.0400 है. भूमि, परिशिष्ट (घ) की आराजी नम्बर 1643, 1669, 1920, 1949, 1950, 1951, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 किता 11 रकबा 1.1300 है. भूमि, परिशिष्ट (च) की आराजी नम्बर 1019, 1022, 1023, 1040, 1041, 1654, 1658, 1952, 875 किता 9 रकबा 1.2700 है. भूमि, परिशिष्ट (छ) की आराजी नम्बर 1657, 1705, 1706, 2186/1927, 874, 897, 898, 899, 900 किता 9 रकबा 1.6300 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

सहायक कलक्टर
भीण्डर